प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "सौभाग्य" का उत्तराखण्ड राज्य में शुभारम्भ मा0 विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2018 को किया गया।

➢ योजना के घटक

इस योजना के तहत विद्युत संयोजन से वंचित रह गये समस्त पात्र एवं इच्छुक अविद्युतीकृत घरों/परिवारों को विद्युत संयोजन प्रदान करना एवं संयोजन प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक आधारिक अवसंरचना का निर्माण किया जाना तथा जिन घरों/परिवारों मे ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना सम्भव था उन घरों/परिवारों में सोलर पैनल (250 Wp) के माध्यम से विद्युतीकृत किये जाने का प्राविधान था।

➢ स्वीकृत धनराशि

राज्य के समस्त जनपदों हेतु घरों/परिवारों को विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु केन्द्रीय निगरानी समिति की बैठक में कुल ₹ 149.34 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

➢ निधि व्यवस्था (Funding Mechanism):-

उत्तराखण्ड राज्य हेतु भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान 85 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंश 5 प्रतिशत जबकि 10 प्रतिशत का एफ.आई./बैंकों से ऋण के रूप में प्रबन्ध किया जाना था।

➢ घरेलू वायरिंग तथा कनैक्शन

इस योजना के अन्तर्गत ग्रिड के माध्यम से संयोजनों हेतु एक बोर्ड पर एक LED, दो स्विच, एक होल्डर, एक सौकेट एवं एक एम0सी0बी0 बिना कोई शुल्क लिए वायरिंग की जानी थी।

➢ अग्रिम धनराशि/जमानती धनराशि

इन कनैक्शनों हेतु उपभोक्ता से कोई अग्रिम जमानती धनराशि भी नहीं ली जाती थी।

➢ मासिक देय शुल्क

बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 उपभोक्ता को घरेलू प्रकाश हेतु कनैक्शन निर्गत किये गये एवं जिसके लिए उसे माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रतिवर्ष बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित दरों पर भुगतान करना होता है।

➢ सर्विस कनैक्शन/घरेलू वायरिंग का रखरखाव

कारपोरेशन केवल घर में मेन स्विच पर लगे 'इनकमिंग टर्मिनल' तक सर्विस कनैक्शन तक के लिए ही उत्तरदायी है। मेन स्विच एवं इसके आगे की वायरिंग के रख रखाव अथवा खराबी के लिए उपभोक्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की घरेलू वायरिंग में खराबी अथवा गलत प्रयोग के कारण होने वाले जान–माल के नुकसान या क्षतिपूर्ति के लिए भी कारपोरेशन किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं है।

कमश.....2

निःशुल्क संयोजन हेतु लाभार्थी (उपभोक्ताओं) की पात्रता एवं सीमा

1. ऐसे परिवार जिसके पास कोई बसेरा न हो।
2. ऐसा निराश्रित परिवार जो भिक्षा/दान पर निर्भर हो।
3. ऐसा परिवार जिसके सदस्य कूड़ा–करकट में से सामान बीनता हो।
4. पुरातन जनजाति समूह।
5. बंधुआ मजदूरी से कानून के अनुसार मुक्त कराये गये परिवार।
6. ऐसे आवासधारक जिनके पास कच्ची दीवार व छतयुक्त एक कमरा हो।
7. ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरूष न हो।
8. ऐसे परिवार जिसमें कोई दिव्यांग सदस्य हो तथा कोई स्वस्थ वयस्क सदस्य न हो।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति।
10. ऐसे परिवार जिसमें 25 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई शिक्षित वयस्क सदस्य न हो।
11. ऐसे भूमिहीन परिवार जो अपना जीवनयापन हस्त मजदूरी से करते हैं।

➢ **ए0पी0एल0 संयोजनो (केवल ग्रामीण क्षेत्र) हेतु लाभार्थी (उपभोक्ताओं) की पात्रता एवं सीमा**

कनेक्शन के पश्चात मात्र रू0 500/की दस किस्तें अर्थात रू0 50/ प्रतिमाह (मासिक बिल के साथ)

1. ऐसे परिवार जिसके पास मोटर चालित 2/3/4 पहिया वाहन/मछली ढोने वाली नाव हो।
2. ऐसे परिवार जिनके पास 3/4 पहिया मशीनीकृत कृषि यन्त्र हो।
3. रू0 50,000/– से अधिक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
4. ऐसे परिवार जिनमें कोई सरकारी कर्मचारी हो।
5. ऐसा परिवार जिसके पास पंजीकृत अकृषक व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो।
6. ऐसा परिवार जिसके परिवार के किसी एक सदस्य की मासिक आय रू0 10,000/– से अधिक हो।
7. ऐसा परिवार जो आयकर का भुगतान करता हो।
8. ऐसा परिवार जो व्यवसायिक कर का भुगतान करता हो।
9. ऐसा परिवार जिसके पास तीन अथवा अधिक कमरे का पक्का मकान हो तथा जिसकी छत व दीवारें पक्की हों।
10. ऐसा परिवार जिसके पास फ्रिज हो।
11. ऐसा परिवार जिसके पास लैंडलाइन फोन हो।
12. ऐसा परिवार जिसके पास एक सिंचाई यन्त्र के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।
13. ऐसा परिवार जिसके पास 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि हो तथा जिसमें दो या दो से अधिक फसलें होती हों।
14. ऐसा परिवार जिसके पास 7.5 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि हो तथा कम से कम एक सिंचाई यन्त्र हो।

➢ **<u>योजना की स्थितिः–</u>**

वर्तमान में योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर योजना के बन्दीकरण कर प्रस्ताव केन्द्रीय नोडल एजेन्सी मै0 आर0ई0सी0लि0, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)

➢ पृष्ठभूमिः–

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर–कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उप–पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा 3 दिसंबर, 2014 को दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) लागू की गई। योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि एवं गुणवत्ता में सुधार होगा तथा कुल पारेषण और वाणिज्यिक हानि (AT&C Losses) को कम करने में मदद मिलेगी।

➢ योजना के घटकः–

- कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषि एवं गैर–कृषि पोषकों का पृथ्थकीकरण।
- उप–पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में सुधार हेतु वर्तमान विद्युत अवसंरचना का सुदृढीकरण एवं मापकों के स्थापन के कार्य।
- विद्युत सुविधा से वंचित परिवारों के विद्युत पहुँच हेतु विद्युत अवसंरचना तैयार करने का प्रावधान है।

➢ योजना के लाभः–

- अविद्युतीकृत ग्रामों एवं तोकों का विद्युतीकरण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, पंचायतों, अस्पतालों इत्यादि को विद्युत की पहुँच।
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक विकास के लिए अवसरों में वृद्वि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्वक एवं नियमित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना।

➢ स्वीकृत धनराशिः–

माह अगस्त–2015 को केन्द्र सरकार की निगरानी समिति की बैठक में प्रदेश में योजना के कार्यों हेतु कुल ₹ 842.00 करोड़ (including PMA) की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

➢ निधि व्यवस्था (Funding Mechanism):-

उत्तराखण्ड राज्य हेतु भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान 85 प्रतिशत है एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंश 5 प्रतिशत है जबकि 10 प्रतिशत का एफ.आई./बैंकों से ऋण के रूप में प्रबन्ध किया जाना था।

क्रमश.....2

➢ लाभार्थी (उपभोक्ता) की पात्रता एवं सीमाः—

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क विद्युत संयोजन प्रदान किया जाना एवं उनके घरों में प्रकाश हेतु 9 वाट के एक एल0ई0डी0 का संयोजन आवश्यक वायरिंग के साथ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है।

➢ घरेलू वायरिंग तथा कनैक्शन

इस योजना के अन्तर्गत संयोजनों हेतु एक बोर्ड पर एक LED, दो स्विच, एक होल्डर, एक सौकेट एवं एक एम0सी0बी0 स्थापित करना एवं बिना कोई शुल्क लिए वायरिंग की जानी थी।

➢ मासिक देय शुल्क

प्रत्येक उपभोक्ता को वितरण स्कन्ध द्वारा घरेलू प्रकाश हेतु कनैक्शन दिया जाता है जिसके लिए उसे माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रतिवर्ष बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित दरों पर भुगतान करना होता है।

➢ सर्विस कनैक्शन/घरेलू वायरिंग का रखरखाव

कारपोरेशन केवल घर में मेन स्विच पर लगे 'इनकमिंग टर्मिनल' तक सर्विस कनैक्शन तक के लिए ही उत्तरदायी है। मेन स्विच एवं इसके आगे की वायरिंग के रख रखाव अथवा खराबी के लिए उपभोक्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की घरेलू वायरिंग में खराबी अथवा गलत प्रयोग के कारण होने वाले जान—माल के नुकसान या क्षतिपूर्ति के लिए भी कारपोरेशन किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं है।

➢ योजना की स्थितिः—

वर्तमान में योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर योजना के बन्दीकरण कर प्रस्ताव केन्द्रीय नोडल एजेन्सी मै0 आर0ई0सी0लि0, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है।